	2-3-18	पत्रावली पेश हुई प्रार्थीया व वकील प्रार्थीया उपस्थित प्रार्थीया बाबत लिखे प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है इसलिए दी आई प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है वकील प्रार्थीया ने लिखे प्रार्थना पत्र पेश किया पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई - निषेधाज्ञा लिखे प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 14:43:56 IST
Reason: SelfAttested